संख्या : 85 /XVII-C-1/2025–4(1)25(E-82342)

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 26 मार्च, 2025

विषयः– जिला पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट के ग्राम मजिरकांडा में "शहीद नायक ऊरबा दत्त एवं सैपर पुष्कर दत्त" की स्मृति में शहीद द्वार बनाये जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सैनिक कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या 3012/शहीद द्वार/सै.क.–3/367 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पिथौरागढ़ के विकासखण्ड–मूनाकोट के ग्राम–मजिरकांडा में "शहीद नायक ऊरबा दत्त एवं पुष्कर दत्त" की स्मृति में शहीद द्वार बनाये जाने हेतु निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम–पिथौरागढ़ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उनके द्वारा गठित आगणन की विभागीय टी0ए0सी0 परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण रूपये 5.02 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–1028/2023, दिनॉक 06.12.2023 के 1(ड) में दी गयी व्यवस्था/दिये गये प्रावधानानुसार उक्त कार्य के लिए धनराशि रूपये 5.00 लाख की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. शहीद द्वार का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाय कि द्वार हेतु निर्मित कॉलम आन्तरिक फेस के बीच सडक की चौडाई कम से कम 7.50 मी0 रखी जाय। मोटर मार्ग के Right of way के अन्दर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा। निर्माण के दौरान यातायात सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।
ii. शहीद द्वार की ऊंचाई कम से कम 6.50 मीटर रखी जाय। मोटर मार्ग पर किसी भी तरह के वाहनों के आवागमन में कोई असविधा उत्पन्न न हो।
iii. शहीद द्वार की नींव खुदाई के दौरान सड़क की क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मत कर पूर्व अवस्था में लाया जाय। यदि गेट निर्माण से मोटर मार्ग को कोई क्षति पंहुचती है तो उसकी मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्था को स्वंय क्षति का वहन करना होगा।
iv. गेट निर्माण हेतु प्रयोग किये जाने वाले मैटेरियल को सड़क पर नहीं गिराया जायेगा। निर्माण के उपरान्त पानी निकासी इत्यादि व्यवस्था को पूर्ववतः व्यवस्थित किया जाना होगा।
v. शहीद सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार/स्मारक बनाये जाने हेतु दिशा–निदेश संबंधी शासनादेश संख्या 1028/2023 दिनांक 06.12.2023 के बिन्दु 1.(च) तथा बिन्दु 2.(ख)5. की अनुपालना अवश्य करा ली जाय।
vi. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितना कि धनराशि स्वीकृत की गयी है।
vii. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
viii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

Scanned with OKEN Scanner

ix. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

x. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xi. प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

xii. स्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

xiv. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–I/201358/2024/09(150)/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

xvi. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

xvii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

xviii. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

xix. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अवमुक्त धनराशि पर अर्जित अद्यतन ब्याज को राजकोष में जमा करा दिये जाने की सूचना सहित) शासन को अनिवार्य प्रस्तुत किया जाए।

xx. प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

xxi. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा **उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना** उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535)दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxii. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

xxiii. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए।

xxiv. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

XXV. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03 10–शहीद द्वार/स्मारकों का निर्माण–53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 के कम्प्यूटर जनरेट संख्या–1/284310/2025, दिनांक 20.03.2025 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

Signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 26-03-2025 15:49:03 (दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : 85 ( )/XVII-C-1/2025–4(1)25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. बजट निदेशालय, देहरादून।
4. निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम–पिथौरागढ़ (कार्यदायी संस्था)।
5. वित्त अनुभाग–01 एवं 02 तथा 03 उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by
Nirmal Kumar
Date: 26-03-2025 16:29:04 (निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanner